बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–2(गो०)सी (कोर्ट) 13/17 कृ०/पटना, दिनांक 2017

सकारण आदेश

श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा जिला उद्यान पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापन अवधि में श्री राम प्रवेश पाण्डेय, गया से श्रीमति चमेली देवी के नाम से राष्ट्रीय बागवान मिशन योजना अन्तर्गत प्याज के गोदाम निर्माण हेतु अनुदान की राशि के भुगतान के समय 7,000/– (सात हजार) रूपये रिश्वत के रूप में मांग की गई। निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक–04.07.2013 को परिवादकर्ता श्री राम प्रवेश पाण्डेय से 7,000/– (सात हजार) रूपये नगद रिश्वत के रूप में लेते समय श्री प्रसाद को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस प्रकार श्री प्रसाद द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 में वर्णित प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए पाया गया। प्रथम द्रष्टया उक्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्फतार किये जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या–34/2013 दिनांक–04.07.2013, धारा–7/8/13 (2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0–1988 के प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–184 दिनांक–16.07.2013 द्वारा दिनांक–04.07.2013 कारावास में रहने तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया।

तदोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–325 दिनांक–30.12.2013 द्वारा दिनांक–18.10.2013 को उनके जेल से रिहा होने एवं दो दिनों के सरकारी अवकाश के पश्चात दिनांक–21.10.2013 को उनके द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या–331 दिनांक–31.12.2013 द्वारा उनके योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक–21.10.2013 से पुनः निलंबित किया गया। आरोपो की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प संख्या–44 दिनांक–07.02.2014 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में स्वयं को निलंबन से मुक्त करने के संबंध में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 –14072/2016 राम ईश्वर प्रसाद, बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–14072/2016 राम ईश्वर प्रसाद, बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–20.02.2017 को निम्न आदश पारित किया गया कि:–"..... Having heard learned counsel for the parties and considering the statutory position discussed above where an appellate remedy is available to the petitioner, for the present all that this Court would do, is to grant liberty to the petitioner to exhaust the appellate remedy available to him. The petitioner would be at liberty to raise all issues that has been raised herein, before the appellate forum....."

चूँकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में सरकार के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं था फलतः श्री प्रसाद ने सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14072/2016 में माननीय न्यायामूर्ति का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक Civil Review petition दायर किया। जिसमें पूर्व के न्यायादेश में हुए त्रुटि के निराकरण हेतु ध्यान आकृष्ट किया। उक्त Review petition में श्री राम ईश्वर प्रसाद का पक्ष सुनने के उपरांत इनका पक्ष स्वीकार करते हुए अपील अभ्यावेदन के स्थान पर पुनर्विलोकन अभ्यावेदन करने का न्यायोदश सिविल रिव्यू संख्या–111/2017 दिनांक–10.05.2017 में पारित हुआ है जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

".....Having heard learned counsel for the parties, the order dated-20.02.2017 passed in C.W.J.C No. 14072 of 2016 in so far as it accords liberty to the petitioner to exhaust 'appellate remedy' stands modified to read as 'review remedy' as available under Rule 24 (2) of 'the disciplinary rules'

The review application is allowed to such extent."

समस्त आरोप एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए श्री प्रसाद द्वारा निलंबन मुक्ति संबंधी समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा विभाग स्तर पर की गई।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया की श्री प्रसाद को चुँकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में निलंबन से मुक्त किया जाना विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के उपरांत ही उपयुक्त होगा।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14072/2016 राम ईश्वर प्रसाद बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक–20.02.2017 को तथा सिविल रिव्यू पेटिशन–111/2017 में दिनांक–10.05.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में समर्पित अभ्यावेदन को तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

प्रतिलिपिः– श्री राम ईश्वर प्रसाद, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

प्रतिलिपिः– विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी /जिला कृषि पदाधिकारी, गया–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

प्रतिलिपिः– निबंधक उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक– 2017

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 959 /कृ0, पटना, दिनांक– 25.09. 2017

प्रतिलिपिः– आई0टी0, मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/9/17

सरकार के अवर सचिव